वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता उप महा प्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छाल उप क्षेत्र नवापारा, छाल, जिला रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में संरक्षित वन 176.710 हे., राजस्व वन 8.307 हे.; कुल 185.017 हे. तथा डिम्ड फारेस्ट रकबा 55.850 हे. खसरा क्रमांक 410 ग्राम बांधापाली की मांग कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देश अनुसार निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है:–

1. तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी प्रपत्र भाग–4 दिनांक 19.04.2018 द्वारा अधिरोपित निम्नानुसार 5 शर्तें यथावत रखी जाती है परन्तु यह समस्त 240.867 हे. वन भूमि के लिए लागू होंगी।

1.1) खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु पाईप के माध्यम से गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े।

1.2) इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े।

1.3) सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फैसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके।

1.4) पर्यावरण स्वीकृति एवं खनन संबंधी लागू नियम के तहत खनन कार्य मांड नदी के HFL से 60 मीटर के बेरियर रखे जाने का प्रावधान किया जावे एवं खनन का कार्य नदी किनारे से 120 मीटर की दूरी छोड़कर किया जावे तथा विस्तारित क्षेत्र के लिए Coal Mining Regulation 1957 (2017) के तहत permission के अनुसार Barrier छोड़ा जावेगा।

1.5) पर्यावरण स्वीकृति एवं खनन संबंधी लागू नियम अनुसार नदी के प्रवाह से खदान की सुरक्षा हेतु Embankment बनाया जावे तथा जिसकी ऊचांई HFL से कम से कम 3 मीटर ऊपर रखा जावे।

2. डिम्ड फारेस्ट रकबा 55.850 हे. खसरा क्रमांक 410 के प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक, बिलापुर वृत्त द्वारा प्रपत्र–3 में की गई अनुशंसा के आधार पर तथा उनके पत्र दिनांक 27.06.2018 अनुसार की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त भी अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है:–

2.1 समस्त 240.867 हे. वन भूमि के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर क्रियान्वित की जावेगी।

2.2 प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन क्षेत्र से समीपस्थ जिन ग्रामीणो द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं अन्य लघु वनोपज नियमित रूप से एकत्रित कर आय प्राप्त की जाती है, उन्हें उपयुक्त क्षतिपूर्ति आवेदक संस्थान के व्यय पर प्रदान की जावे।

2.3 खेदापाली डेम के जलग्रहण क्षेत्र के लिए जल ग्रहण प्रबंध योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर क्रियान्वित की जावेगी।

2.4 आवेदक संस्थान वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यपवर्तित प्रकरणों की मानीटरिंग के लिए एक वाहन क्रय (इनोवा या समकक्ष) कर उपलब्ध कराएगी।

दिनांक: २३/12/2020
स्थान: रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं
वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर– 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–259/ 2395 रायपुर, दिनांक 28/12/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषयः– **Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Chhal Open Cast Seam III 6 MTY (Supplementary proposal for diversion of 55.850 ha. of Deemed forest land in addition to earlier proposal for diversion of 185.017 ha. forest land proposal 55.850 ha. - Regarding**

पंजीयन क्रमांकः– FP/CG/MIN/39334/2019

संदर्भः
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–18/10–2 दिनांक 17.05.2018
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक/1119 दिनांक 27.06.2018
3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 2622 दिनांक 17.11.2020

––– ::000:: –––

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/ तक/2552 दिनांक 29.11.2017 एवं पत्र क्रमांक/636 दिनांक 28.03.2018 से छाल कोयला खुली खदान परियोजना के लिए रकबा 185.017 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विषयांकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/खनिज/331–222/1276 दिनांक 23.04.2018 के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया था।

2. तदुपरांत संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा 4 बिन्दुओं पर प्रतिवेदन चाहा गया था जिसमें प्रमुख बिन्दु, बिन्दु क्रमांक–3 यह था कि खनिज क्षेत्र के दाहिने ओर कुछ वृक्ष अच्छादित क्षेत्र पाया गया है जो राजस्व वन भूमि है या अन्य प्रकार की भूमि है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर राजस्व वन भूमि होने की स्थिति में उक्त भूमि को व्यपवर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा।

3. संदर्भ पत्र–2 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा प्रेक्षा किये गये 4 बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसके बिन्दु क्र. 3 के पालन में संदर्भ पत्र 2 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त ने लेख किया था कि ग्राम पंचायत लाक (बांधापाली) में राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 410 रकबा 50.00 हे. में वर्ष 2003–04 में अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण मद से 13,500 नग पौधे वृक्षारोपित किये गये थे जिसमें 20 से. मी से अधिक गोलाई के 10,125 वृक्ष उपलब्ध है एवं 20 से.मी. से कम गोलाई के 3,281 पौधे प्रति हे. विद्यमान है।

4. अतः संदर्भ पत्र–2 के बिन्दु क्रमांक 3 पर उल्लेखित क्षेत्र को Deemed Forest मानकर प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रसंस्करण किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में प्रेषित 185.017 हे. वन भूमि के प्रस्ताव को पुनरीक्षित करते के लिए इस कार्यालय से राज्य शासन से वापस बुलाया गया था जो छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–18/10–2 दिनांक 07.07.2018 द्वारा दो प्रतियों में प्राप्त हुआ था।

5. अब शासन के पत्र संदर्भ – 1 के पालन में संदर्भ – 2 की छायाप्रति संलग्न है। कृपया संदर्भ पत्र–1 के बिन्दु 1, 2 एवं 4 के पालन में संदर्भ पत्र–2 द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को मान्य करने की अनुशंसा की जाती है तथा 185.017 हे. के मूल प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति में शर्त के रूप में इन्हे सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की

जाती है जिसके अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी किया गया पूर्व का प्रपत्र भाग–4 संशोधित कर दिया गया है।

6. शासन के संदर्भ पत्र–1 के बिन्दु क्रमांक–3 के पालन में यह पाया गया कि 50 हे. के बजाय 55.850 हे. राजस्व भूमि पाई गई है जिसकी वैधानिक स्थिति के बारे में कलेक्टर, रायगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 1311/भू.अ.लि./2019 दिनांक 01.10.2019 के माध्यम से उक्त भूमि को राजस्व भूमि मानकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रमांक–34 पृष्ठ 740) जारी किया है अर्थात कलेक्टर, रायगढ़ के अनुसार उक्त भूमि राजस्व भूमि है। इस कारण से कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र अतिरिक्त 55.850 हे. भूमि के लिये उपलब्ध नहीं कराया गया है।

7. परन्तु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.01.1997 (प्रमुख सचिव, राजस्व तथा सचिव, वन दोनों द्वारा हस्ताक्षरित) में यह उल्लेख किया गया है कि विविध याचिका क्रमांक 202/95 गोदाबर्मन विरूद्ध भारत शासन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 को पारित अंतरिम आदेश के पालन में वन का शब्दकोषीय अर्थ व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 10.00 हे. एवं उससे बड़े चक को जहॉ औसतन 200 या अधिक वृक्ष प्रति हे. है उसे वन माना जावे (छायाप्रति संलग्न)।

8. अतः उक्त 55.850 हे. राजस्व भूमि में खड़े 16,000 वृक्षों के आधार पर प्रति हे. वृक्ष की गणना 200 से अधिक होती है जिसके कारण इसे Deemed Forest मानकर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। 16,000 वृक्षों का गोलाईवार विवरण ऑन लाईन जानकारी में दर्शित है जिसे चेकलिस्ट क्रमांक 12 पर अंकित किया गया है।

9. उक्त के फलस्वरूप प्रस्ताव पुनरीक्षित किया जाना है। फलस्वरूप 55.850 हे. भूमि को Deemed Forest मानकर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव 185.017 हे. के साथ समग्रता में विचार किये जाने का अनुरोध है।

10. उप महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल, छाल, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ का छाल खुली खदान **Seam III 6 MTY** रकबा 185.017 हे. (संरक्षित वन भूमि 176.710 हे. एवं राजस्व वन भूमि 8.307 हे.) हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रकरण में **अतिरिक्त क्षेत्र** ग्राम बांधापाली के खसरा क्रमांक 410 रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट में कोयला उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के संदर्भ पत्र–3 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। नवीन चेक लिस्ट अनुसार 55.850 हे. Deemed Forest के प्रस्ताव का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1 से 10) – आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल, छाल, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ द्वारा धरमजयगढ़ वन मंडल के ग्राम बांधापाली के खसरा क्रमांक 410 रकबा 55.850 हे. Deemed Forest में कोयला उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म **A** भाग 1 द्वारा मांग रखी गई है। यह मांग रकबा 185.017 हे. (संरक्षित वन भूमि 176.710 हे. एवं राजस्व वन भूमि 8.307 हे.) हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रकरण के अतिरिक्त है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 11 से 13) – वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/MIN/39334/2019** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्ताव पृष्ठ 12 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के अदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 46,000/–जमा कराये गये।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 14–15) – खुली खदान कोयला उत्खनन के लिए व्यपवर्तन हेतु छाल परिक्षेत्र के ग्राम बांधापाली के खसरा क्रमांक 410 रकबा 55.850 हे. को Deemed Forest माना गया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 16 से 18) – आवेदनकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि गैर वन क्षेत्र पूर्व प्रकरण में शामिल है। मूल प्रस्ताव 185.017 हे. वन भूमि के प्रस्ताव अनुसार में 825.684 हे. **Tenancy Land** एवं 332.016 हे. **Govt Land** कुल 1157.700 हे. (55.850 हे. सहित) गैर भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 19 से 20) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 22) – संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र –4 में (प्रस्ताव पृष्ठ 23 से 35) – प्रपत्र– 4 में परियोजना की कुल लागत रू. 61063 लाख (पृ. क्र. 24) है जो मूल परियोजना 185.017 हे. वन क्षेत्र के समान है। वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ ने यह लेख किया है कि अन्य उपलब्ध विकल्पों का परीक्षण कर लिया गया है तथा आवेदित वन भूमि न्यूनतम है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 36 से 77) – यूजर एजेंसी द्वारा मूल परियोजना 185.017 हे. की टीप संलग्न की गई है। यह क्षेत्र माण्ड रायगढ़ कोल्ड फिल्ड में आता है तथा आवेदक संस्थान उत्पादन 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से 6 मिलियन टन प्रति वर्ष करना चाहती है। पांचवे वर्ष एवं तदोपरांत में आवेदक संस्थान ने कोयला खनन का लक्ष्य 6 मिलियन टन प्रति वर्ष रखा हुआ है जिसके अनुसार कलेण्डर लगाया गया है। यह मूल प्रस्ताव 185.017 हे. के समान है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 78 से 79) – वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 80 से 81) – प्रस्तावित क्षेत्र का मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 82 से 101) – प्रकरण में आवेदक संस्थान एस.ई. सी.एल छाल खुली खदान परियोजना (1 MTPA to 3 MTPA with apeak Production of 3.5 MTPA) के लिये भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015 / 1000/ 2007- IA. II (M) दिनांक 27.04.2010 के तहत पर्यावरण स्वीकृति लिया गया था। वर्तमान में SECL CHHAL OC Seam III (6MTY) परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति लेने की कार्यवाही की जा रही है (विवरण संलग्न है)।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 102 से 106) –आवेदित क्षेत्र में 16,000 नग विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है जिनकी सूची ऑन लाईन जानकारी में दर्शित हैं। गोलाई वर्गवार वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र.	गोलाई वर्ग से.मी.	वृक्षों की संख्या
1	0–30	10916
2	31–60	2382

3	61—90	899
4	91—120	1002
5	121—150	422
6	150 से अधिक	379
योग		**16,000**

बि.क्र. 13. कास्ट / बेलिफिट ऐनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 107 से 110) — कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है। परियोजना का कास्ट बेनिफिट रेश्यो 1:26.90 है।

बि.क्र. 14. चयनित गैर वनक्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातंरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 111 से 112) — प्रस्तावित परियोजना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनक्षेत्र का चयन नहीं किया गया है। परियोजना में प्रभावित गैर वन क्षेत्र का विवरण बिन्दु क्रमांक—4 पर दिया गया है।

बि.क्र. 15. गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 113 से 114) — प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शे की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव में पृथक से संलग्न है) — स्थल विशेष 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण परिक्षेत्र छाल, बाकारूमा, साजापाली एवं लैलूंगा के दुगुने बिगड़े वन में प्रस्तावित है।

प्रस्तावित क्षेत्र के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि में धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 15 स्थलों (समस्त पी.एफ.) पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित किया है। इन स्थानों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	रकबा हे.
1	छाल	498	9.166
2	छाल	498	3.218
3	छाल	498	8.133
4	छाल	498	6.522
5	छाल	500	18.000
6	बाकारूमा	101	2.295
7	लैलूंगा	222	5.992
8	लैलूंगा	222	22.151
9	लैलूंगा	254	12.965
10	बाकारूमा	101	8.907
11	बाकारूमा	101	2.374
12	बाकारूमा	101	1.303
13	बाकारूमा	99	7.515
14	लैलूंगा	221	3.455
15	लैलूंगा	221	2.248
योग			**114.244**

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 609 से 624) – धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित समस्त 15 स्थलों का वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल द्वारा जारी किया गया है जो प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के अंत में संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 625 से 626) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया गया है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 627 से 628) – लागू नहीं।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 629 से 630)– लागू नहीं।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 631 से 639) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का चयन नहीं किया गया है। अतएव मुख्य सचिव का गैर वन भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है। भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग होने के कारण एस.ई.सी.एल. के इस प्रकरण में दुगुने बिगड़े वन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जा सकता है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 640 से 641) – आवेदक संस्थान के कथन अनुसार खनन प्रकरण होने के कारण कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नही है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 642 से 662) – आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल, छाल, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़ द्वारा दिया गया रिक्लेमेशन प्लान संलग्न हैं।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 663 से 671)– वर्ष 2013 की स्थिति में छाल ओपन कास्ट सीम–3 प्रोजेक्ट 6 मिलियन टन प्रति वर्ष की प्राजेक्ट रिपोर्ट की आवरण लगाई गई है। साथ में 16.12.2013 का कोल इण्डिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक का कार्यवाही विवरण लगाया गया है। प्रोजेक्ट रिर्पोट की प्रतियां अलग से उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्न की जा रही है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 672 से 691) पुर्नवास एवं पुर्नबसाहट योजना संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक)(प्रस्ताव पृष्ठ 692 से 700) – वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22.08.2020 संलग्न है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रपत्र–2 भरा गया है। वनों का घनत्व 0.4 बताया गया है तथा वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 24.09.2020 को आवेदित वन क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया है तथा वन मंडलाधिकारी के सुझाव से सहमति व्यक्त की गई है। साथ ही यह अनुशंसा की गई है कि उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित खदान के 10 कि.मी.

परिधि अंतर्गत तेन्दूआ, भालू, हाथी तथा अन्य वन्यप्राणियों का विचरण होता है। अतः उक्त क्षेत्र में हाथी, भालू एवं अन्य वन्यप्राणियों के संवर्धन हेतु वन्यप्राणी योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है, प्रस्तावित खदान क्षेत्र में जल संवर्धन कार्य विशेष रूप से किया जाना आवश्यक है एवं इन क्षेत्रों में वन्यप्राणी मानिटरिंग हेतु वन्यप्राणी सुरक्षा मानिटरिंग व्यवस्था लागू करना आवश्यक है। यह कार्य वन्यप्राणी योजना अंतर्गत प्रावधानित कर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। **(प्रस्ताव पृ. क्र. 700 ए)**

उपरोक्तानुसार 185.017 हे. वन भूमि के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा अद्यतन स्थिति में संशोधित करते हुए प्रपत्र–4 तैयार कर संलग्न है।

ब.क्र. 27. ऐततिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 701 से 702) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नही है वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 703 से 706) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के लिए ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रथम चरण की स्वीकृति के उपरांत पालन के समय प्रस्तुत किया जावेगा।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 707 से 708) – प्रस्ताव में जिले की कुल वनभूमि 244804 हे. का विवरण संलग्न है। (पी–712)

बि.क्र. 30. –1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणां में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 709 से 710) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्वीकृत प्रकरणों में कुल 528.624 हे. वन भूमि प्रभावित है। प्रमाण पत्र संलग्न है। (पी–30)

बि.क्र. 31. –1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 711 से 712) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि 124.540 हे. दर्शित है। (पी–708)

बि.क्र. 32 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उधान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी प्रस्ताव पृष्ठ 713 से 714) – आवेदित वनभूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उधान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नही है परन्तु आसपास में स्थित वन कक्षों में यदा कदा हाथीयों का विचरण होना पाया गया है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में प्रस्ताव पृष्ठ 715 से 734) – 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन कर मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 735 से 738) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलाय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ 11–43/

2013/ एफ.सी. दिनांक 26.02.2019 के अनुसार वन अधिकार मान्यता पत्र वितवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति तक के लिए छूट प्रदान की गई है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 739 से 742) – कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक/ 1311/ भू.अ.लि./ 2019 दिनांक 01.10.2019 (प्रस्ताव पृ. क्र.–740) से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि राजस्व भूमि है। अतः राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 743 से 744) – आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act,1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA : Remittances of precede 2 nd stage Clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 745 से 746)– आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on soil productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 747 से 748) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 55.850 हे. वन भूमि में कुल 16000 वृक्ष है। इस क्षेत्र की मिट्टी चिकनी, दोमट, एवं बलुई है, जिसमें ह्यूमन लगभग सामान्य है तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है इसलिए मृदा, वृक्षों / वनस्पत्तियों के लिए उपयुक्त है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 749 से 750) –परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में व्यपवर्तन से पूर्व किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की खनन कार्य नही किया गया है। वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 40. Division of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additipna condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (प्रस्ताव पृष्ठ 751 से 752) – आवेदित क्षेत्र 500.00 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नही है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 41. पंजयीन कमांक (753 से 756) – चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक – 2 अनुसार दर्शित है।

बि.क्र. 42. वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ –757 से 758) – व्यपवर्तन हेतु आवेदक संस्थान ने एस.एफ.आर.टी.आई. रायपुर से वन्यप्राणी संरक्षण योजना मय एवीफौना योजना बनवाई है। यह योजना एस.एफ.आर.टी.आई के पत्र दिनांक 31.07.2019 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी को उपलब्ध कराई है। जब प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होगी उसके बाद पालन में समस्त 240.867 हे. वन भूमि के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर क्रियान्वित की जावेगी। तदाशय की शर्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अभिमत फार्म भाग–4 में सम्मिलित कर दी गई है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ –759 से 760)– प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नही है। अतः आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 761 से 812) – इस पत्र के बिन्दु 1 से 9 तक महत्वपूर्ण अतिरिक्त जानकारी दी गई है। आवेदक संस्थान द्वारा आवेदित वन क्षेत्र तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट तथा मय के.एम.एल फाईल लगायी गई है।

कृपया अवगत होना चाहेंगे कि राज्य शासन के संदर्भ पत्र–1 द्वारा की गई प्रेक्षा के बिन्दु 3 के पालन में यह प्रस्ताव प्रेषित है। साथ ही संदर्भ पत्र–1 द्वारा की गई प्रेक्षा के बिन्दु 1,2 तथा 4 के अध्ययन उपरांत होने वाले प्रभावों को नियंत्रित / कम करने के लिये सुधारात्मक प्रावधान प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा जारी होने वाले निर्धारित प्रपत्र भाग–4 में अंकित कर दिये गये है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों / दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में **www.parivesh.nic.in** पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा विषयांकित प्रकरण की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रकरण स्वीकृति हेतु 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है। इसके अलावा 185.017 हे. का मूल प्रस्ताव भी साथ में संलग्न है ताकि इस पत्र के द्वारा प्रेषित अतिरिक्त प्रस्ताव रकबा 55.850 हे. पर समग्रता में विचार हो सके।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 55.850 हे. 3 प्रतियों में (कुल 6 सेट)
2. सर्वे प्रस्तावित क्षेत्र/सी.ए क्षेत्र की डी.जी.पी.एस. रिर्पोट मय सी.डी. (प्रस्ताव में संलग्न)
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित अद्यतन प्रपत्र भाग–4
   (समस्त 185.017 हे. तथा 55.850 हे. को सम्मिलित करते हुए)
5. मूल प्रस्ताव 185.017 हे. 3 प्रतियों में (कुल 9 सेट) मय डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट
6. संदर्भ पत्र–2 की छाया प्रति
7. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का परिपत्र दिनांक 13.01.1997 की छाया प्रति
8. माईनिंग से संबंधित सी.एम.पी.डी.आई द्वारा जारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (कुल 3 सेट)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़
रायपुर, दिनांक 28 /12/2020

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/ 331–259/ 2396

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी),** छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी,** धरमजयगढ़ वन मंडल, छत्तीसगढ़।
4. **महाप्रबंधक,** एस.ई.सी.एल, छाल, रायगढ़ क्षेत्र, रायगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़